

दलिली में वधियाई शक्तयों का टकराव

प्रलिमिस के लिये:

भारत के संविधान में 69वाँ संशोधन।

मेन्स के लिये:

नई दलिली सरकार बनाम केंद्र सरकार, दलिली सरकार (संशोधन) अधनियम, 2021, सहकारी संघवाद, संवैधानिक संशोधन।

चर्चा में क्यों?

दलिली को राज्य का दर्जा प्राप्त न होने के कारण नई दलिली के क्षेत्रीय प्रशासन के लिये निरिवाचित सरकार और उपराज्यपाल (LG-केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त) के बीच शक्तयों को लेकर लंबे समय से टकराव रहा है।

- दोनों के बीच कई अवसरों पर विवाद हुआ है, जिसमें भ्रष्टाचार नियोगी ब्यूरो, सविलि सेवा और बजिली बोर्ड जैसी एजेंसियों पर नियंत्रण शामिल है।
- इसके अलावा [राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दलिली सरकार अधनियम, 1991](#) में हुआ 2021 का संशोधन बताता है कि संघरू की संभावना खत्म नहीं हुई है।

Centre vs Delhi govt again

WHAT THE ACT PROPOSES

- The term "Government" in any law by the legislative assembly will mean "Lieutenant Governor"
- The assembly shall not make rules or committees to consider day-to-day administration or conduct inquiries
- Rule or committee made before the new amendment comes into force "shall be void"
- Before taking any executive action, opinion of the L-G shall be obtained by a general or special order
- L-G shall have power to reserve for consideration any Act, and any of the matters outside the purview of the powers conferred on the legislative assembly

DELHI GOVT'S RESERVATIONS

- Article 239AA says legislature can make laws on any matters on state and concurrent list except for issues relating to public order, police and land.
- SC's Constitution bench in 2018 recognised assembly's right, and said Union has exclusive powers only in the above 3 issues.
- SC said L-G should work with aid and advice of council of ministers
- SC order clarified that L-G has not been entrusted with any independent decision-making power
- While any matter of dispute can be sent to President, the SC said it does not mean every matter should be

नई दलिली का गवर्नेंस मॉडल:

- संविधान की अनुसूची 1 के तहत दलिली को केंद्र शासित प्रदेश होने का दर्जा प्राप्त है जबकि संविधान के 69वें संशोधन अधनियम द्वारा अनुच्छेद 239AA के तहत 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' का नाम दिया गया है।
- 69वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 239AA को सम्मिलित किया गया, जिसने केंद्रशासित प्रदेश दलिली को एक उपराज्यपाल द्वारा प्रशासित करने की घोषणा की, जो निरिवाचित विधानसभा की सहायता एवं सलाह पर काम करता है।
 - हालाँकि 'सहायता' और 'सलाह' खंड केवल उन मामलों से संबंधित है, जिन पर निरिवाचित विधानसभा के पास राज्य व समवर्ती सूचियों के तहत सार्वजनिक व्यवस्था, पुलसि तथा भूमिके अपवाद के साथ अधिकार प्राप्त हैं।
- इसके अलावा अनुच्छेद 239AA यह भी कहता है कि उपराज्यपाल को या तो मंत्रपरिषिद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होता है या वह राष्ट्रपति द्वारा किसी संदर्भ में लिये गए नियन्य को लागू करने के लिये बाध्य होता है।

- साथ ही अनुच्छेद 239AA के अनुसार, उपराज्यपाल के पास मंत्रपिरिषिद के नियम को राष्ट्रपति के विचारारथ आरक्षित करने की वशीष शक्तियाँ हैं।
- इस प्रकार उपराज्यपाल और नियाचति सरकार के बीच इस दोहरे नियंत्रण से सत्ता-संघरण की स्थितिउत्पन्न होती है।

इस मामले में न्यायपालकी की राय:

- दलिली उच्च न्यायालय द्वारा केंद्रशास्ति प्रदेश के रूप में दलिली की स्थितिको देखते हुए केंद्र सरकार के पक्ष में नियम कथिया गया।
- हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपराज्यपाल (**Lieutenant Governor-LG**) की तुलना में दलिली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों से संबंधित कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर फैसला करने हेतु मामले को एक संविधान पीठ को संदर्भित कर दिया गया।
- संवैधानिक पीठ को संदर्भित मामले को एनसीटी बनाम यूओआई मामला, 2018 (**NCT vs UOI case, 2018**) के रूप में जाना जाता है। पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने NCT के प्रशासन में एक नया न्यायशास्त्रीय अध्याय के मार्ग को प्रशस्त किया।
 - **उद्देश्यपूर्ण नियमाण:** न्यायालय ने उद्देश्यपूर्ण नियमाण के नियम का हवाला देते हुए कहा कि संविधान (69वाँ संशोधन) अधनियम के पीछे उद्देश्य अनुच्छेद 239AA की व्याख्या का मार्गदरशन करना है।
 - अरथात् अनुच्छेद 239AA में संघवाद और लोकतंत्र के संविधांत शामलि हैं, जिससे अन्य केंद्रशास्ति प्रदेशों से भनिन स्थिति प्रदान करने की संसदीय मंशा का पता चलता है।
 - **उपराज्यपाल द्वारा सहायता और सलाह पर कार्रवाई करना:** न्यायालय ने घोषणा की कि उपराज्यपाल मंत्रपिरिषिद की "सहायता और सलाह" के अधीन कार्रवाई करता है, यह देखते हुए कि दलिली विधानसभा के पास राज्य सूची में शामलि तीन विषयों को छोड़कर समवर्ती सूची में शामलि सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है।
 - उपराज्यपाल को मंत्रपिरिषिद की "सहायता और सलाह" पर कार्रवाई करना चाहयि, सविय इसके कविह कसी मामले को अंतमि नियम के लिये राष्ट्रपति को संदर्भित करे।
 - **हर मामले में लागू नहीं:** कसी भी मामले को राष्ट्रपति को संदर्भित करने के लिये उपराज्यपाल की शक्ति, जिस पर उपराज्यपाल और मंत्रपिरिषिद के बीच मतभेद है, के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने संपष्ट कथिया कि "कसी भी मामले" का अरथ "हर मामले" से नहीं लगाया जा सकता है," और ऐसा संदर्भ केवल असाधारण प्रसिद्धियों में ही उत्पन्न होगा।
 - **सहायक के रूप में उपराज्यपाल:** उपराज्यपाल सवयं को नियाचति मंत्रपिरिषिद के विधीयों के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय एक सूत्रधार के रूप में कार्रवाई करेगा।
 - **नई दलिली को राज्य का दरजा नहीं दिया जा सकता:** साथ ही न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दलिली को संवैधानिक योजना के तहत राज्य का दरजा नहीं दिया जा सकता है।

आगे की राह

- संवैधानिक विश्वास के माध्यम से कार्रवाई करना: शीर्ष अदालत ने सही निषिकरण नियमाण और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दलिली सरकार अधनियम, 1991 में नियाचति योजना एक सहयोगी संरचना की प्रक्रिया करती है जिसे केवल संवैधानिक विश्वास के माध्यम से ही साकार कथिया जा सकता है।
- **सबसिडियरी का संविधांत (Principle of Subsidiarity) सुनियाचति करना:** सबसिडियरी (राजकोषीय संघवाद का संस्थापक) संविधांत आवश्यक रूप से उपराष्ट्रीय सरकारों को संशक्त बनाता है।
 - इसलिये केंद्र सरकार को शहरी सरकारों को अधिक-से-अधिक शक्तियाँ आवंटित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहयि।
 - इस संदर्भ में भारत को जकारता और सयोल से लेकर लंदन व पेरिस जैसे महानगरों का अनुसरण करना चाहयि जहाँ मजबूत उप-राष्ट्रीय सरकारें कार्रवाई करती हैं।

स्रोत: द हृदौ